TDR लगाने हेतु
रिपोर्ट हेतु लिखावट
ग्राम- भीमसिंगपुरा
तहसीलदार बिजौलिया

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/241

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	6/6/24
251 (1) ए प्रार्थनापत्र	155/24	23/05/24	निर्णित 8/1/25	27/6/24 18.7.24 12/9/24 जांच रिपोर्ट प्राप्त 30/9/24 17/10/24 12/11/24 21/11/24 28/11/24 05.12.24 20/12/24 12/12/24 8/1/25

अनवान

श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र देवीलाल मीणा .... श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी गोविन्दपुरा .... निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रामफूल धाकड़

श्री परोकार सरकार

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रार्थनापत्र संख्या :– 155 / 2024

दायर तारीख 23 / 05 / 2014

अनवान

01. प्रकाशचन्द्र पुत्र देबीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार ....अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 08 / 01 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम नीमड़ीगवां पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी में स्थित आराजी नम्बर 78 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, आराजी संख्या 79 रकबा 0.4937 हैक्टेयर आराजी संख्या 79/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आचा भूमि में स्थित है। जिस पर आने–जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 80/1 किस्म गै.मु. रास्ते से होता हुआ विपक्षी की आराजी 80/2 रकबा 0.6637 में होता हुआ आगे प्रार्थी की आराजी नम्बर 79 में पहुचता है। इसका उपयोग प्रार्थी उनके पूर्व खातेदार भी करते रहे है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वर्तमान में इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी आने–जाने एवं ट्रेक्टर लाने–लेजाने के लिए करते हैं।

मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात/निशान है विपक्षी की ग्राम नीमड़ीगवां पटवार हल्का चान्दजी की खेड़ी के आराजी नम्बर 80/2 में उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर काश्त करने के लिए आने–जाने एवं ट्रेक्टर बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है।

यह कि प्रार्थी नियमानुसार विपक्षी की खातेदारी भूमि जिसको रास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही है। रास्ते के एवज में तय की जाने वाली मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिये प्रार्थी तैयार है।

अतः मुझ प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या नम्बर 78 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, आराजी संख्या 79 रकबा 0.4937 हैक्टेयर,आराजी संख्या 79/ रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.0927 हैक्टेयर भूमि पर पहुचने के लिए विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 80/2 रकबा 0.6637 हैक्टेयर भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता उपयोग हेतु प्रदान कराया जावें एवं गै.मु. रास्ता नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किंये जाने का आदेश फरमावें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र दिनांक 23.052024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तहसीलदार बिजौलिया की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । तहसीलदार बिजौलियां की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट के कमांक/रीडर/2024/1406 दिनांक 05.08.24 को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां के पत्र कमांक/राजस्व/2024/1949 दिनांक 05.12.2024 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अंकित किया गया कि भू.अ.नि. सलावटिया एवं पटवारी हल्का चान्दजी की खेड़ी द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम नीमड़ीगवां के आराजी नम्बर 78 व 79 जो वादी की खातेदारी भूमि हैं, जिसमें पहुंच हेतु पहुंच मार्ग नहीं है, और न ही कोई वैकल्पिक मार्ग हैं। प्रार्थी आराजी नम्बर 80/2 में निकटतम दूरी का रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया हैं एवं नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। आराजी नम्बर 80/2 में प्रस्तावित 80 मीटर लम्बा 8 मीटर चौड़ा यानि 640 वर्ग मीटर यानि 0.0640 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया है। उक्त भूमि मौके पर असिंचित हैं एवं किस्म गै.मु. मगरी बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने में उपस्थित मौतविरान ने कोई आपत्ति नहीं बताई है। उक्त भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खनिज संभावित व खनिज स्वीकृत क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम नीमड़ीगवां की रास्ते हेतु प्रस्तावित बिलानाम आराजी नम्बर 80/2 रकबा 0.6637 हैक्टेयर में से 0.0640 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 332037/– रू प्रति हैक्टेयर भूमि की मालियत 21251/–रूपये का दुगुना से **42502/–रूपये** की राशि बनती है।तहसीलदार बिजौलियां मौका रिपोर्ट, नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रैस की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं पेरोकार सरकार के बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी ग्राम नीमड़ीगवां पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी भू.अभि.क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 78 क्षेत्रफल 0.5747 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79, क्षेत्रफल 0.4937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79/1 क्षेत्रफल 0.0243 कुल खसरे 03 क्षेत्रफल 1.0927 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल , मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के ग्राम नीमड़ीगवां पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी की जमाबंदी के खाता संख्या 01 में अंकित खसरा संख्या 80/2 क्षेत्रफल 0.6637 में से 0.0640 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 332037/–रूपये प्रति हैक्टेयर में से 0.0640 हैक्टेयर भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 42502/–रूपये बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 08/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा